

रमल १११५ चै १०६८ कोर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

कमांक:—राजस्व/2022/112

4/22

दिनांक:—20.01.2022

24/1/22

आदेश

अर्न्तगत धारा 251 (क) आटीएक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 251 क आरटीएक्ट के तहत पेश निवेदन किया कि खातेदार चैनकंवर पुत्री कृष्णगोपाल के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज आराजी खसरा न 946 की रकबा 3.33 पर जाने हेतु रास्ता चाहने हेतु पेश हुआ था।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार कनवास से उक्त संबंध में रिपोर्ट लि गई तहसीलदार कनवास व पटवार हल्का खजूरी के अनुसार खातेदार चैनकंवर पुत्री कृष्ण गोपाल को अपनी आराजी खसरा न 946 रकबा 3.33 पर जाने के लिए निकटतम रास्ता खसरा न 843, 935 व 938 की भूमि से होते हुए पहुंचता है राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा 843/0.95 किस्म गै0 मु0 जंगलात, खसरा न 935/1.07 खातेदार धनसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी आमली तथा खसरा न 938/1.04 किस्म चाही तृतीय खातेदार कमला पुत्री शंकर जाति धाकड के नाम दर्ज है। उक्त खसरा न 935 व 938 के खातेदारों को अपनी आराजी मे से रास्ता निकालने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। इस बाबत दोनों खातेदारों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये।

अतः ग्राम पीसाहेडा की आराजी के खसरा न 935 के दक्षिणी छोर से 4 मीटर चौडा रास्ता तथा खसरा न 938 के उत्तरी छोर पर 4 मीटर चौडा रास्ता मौका स्थिति अनुसार दर्ज किये जाने हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अतः खातेदार चैनकंवर पुत्री कृष्णगोपाल के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज ग्राम पीसाहेडा की आराजी के खसरा न 946 की रकबा 3.33 किस्म चाही तृतीय पर जाने हेतु खसरा न 935/1.07 खातेदार धनसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी आमली तथा खसरा न 938/1.04 किस्म चाही तृतीय खातेदार कमला पुत्री शंकर जाति धाकड निवासी आमली के नाम दर्ज है। उक्त खसरा न 935 के दक्षिणी छोर से 4 मीटर चौडा रास्ता तथा खसरा न 938 के उत्तरी छोर पर 4 मीटर चौडा रास्ता मौका स्थिति अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

दिनांक 20.01.2022

कमांक:—राजस्व/2022/

प्रतिलिपी:

1. तहसीलदार कनवास को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रेषित।

उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा
कनवास जिला कोटा